

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Annual Report on the Activities of the Council during 2024-2025) (1 April, 2024 to 31 March, 2025)

The Pharmacy Council of India (PCI) is a body constituted under Section 3 of the Pharmacy Act, 1948 to regulate the profession and practice of Pharmacy. The Central Council consists of the following members, namely: -

- a) six members, among whom there shall be at least one teacher of each of the subjects, pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology and Pharmacognosy elected by the University Grants Commission from among persons on the teaching staff of an Indian University or a college affiliated thereto which grants a degree or diploma in pharmacy;
- b) six members, of whom at least four shall be persons possessing a degree or diploma in, and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry, nominated by the Central Government;
- c) One member elected from amongst themselves by the members of the Medical Council of India;
- d) The Director General, Health Services, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorized by him in writing to do so;
- dd) the Drugs Controller, India, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorized by him in writing to do so;
- e) The Director of the Central Drugs Laboratory, ex officio;
- f) A representative of the University Grants Commission and a representative of the All India Council for Technical Education;
- g) One member to represent each State elected from amongst themselves by the members of each State Council, who shall be a registered pharmacist;
- h) One member to represent each State nominated by the State Government, who shall be a registered pharmacist;

OBJECTIVES OF THE COUNCIL

The Council is responsible for -

- ◆ Prescribing minimum standards of education required for qualification as a pharmacist;
- ◆ Uniform implementation of educational standards;
- ◆ Approval of course of study and examination for pharmacists;
- ◆ Withdrawal of approval;
- ◆ Approval of qualifications granted outside India; and
- ◆ Maintenance of Central Register of pharmacists.

The Central Council constitutes an Executive Committee consisting of the President, the Vice President and five other members elected from amongst its members. In addition, the following other committees are also functioning in the Council: -

- a) PCI - Business Advisory Committee
- b) PCI - Promotion of Academic Research for Industrial Utility Committee
- c) PCI - Co-ordination Committee on_
 - a) State Pharmacy Councils
 - b) State Governments
- d) PCI - Committee on General Administration (Personnel and Training)
- e) PCI - Finance Committee
- f) PCI - Committee on Information and Communications Technology
- g) PCI - Law Committee
- h) PCI - National / International Conference Committee
- i) PCI - Professional Pharmacy and
- j) Public Relations Committee (PP&PRC)
- k) Women Empowerment Committee

The following are the office bearers and the officers of the Council during the year under report:

1. Dr. Montukumar M Patel - President
2. Prof. (Dr). Pramod Yeole- Vice- President
3. Shri Anil Mittal- Registrar-cum-Secretary

ACTIVITIES OF THE COUNCIL DURING 2024-2025

1. Inspections arranged

The Council arrange 2788 inspections of diploma, degree, Pharm.D., M.Pharm and B.Pharm (Practice) institutions during the period under report.

2. Meetings of the Council: -

Central Council Meeting held on: -

28th February, 2025

Executive Committee Meetings held on: -

- 2nd April, 2024(Online)
- 24th April, 2024 (New Delhi)
- 6th June, 2024 (New Delhi)
- 3rd July, 2024 (Online)
- 18th July, 2024 (Himanchal Pradesh)
- 10th August, 2024 (Online)
- 22nd August, 2024 (Online)
- 4th September, 2024 (Online)
- 13th September, 2024 (Online)
- 20th & 21st September, 2024 (New Delhi)
- 30th September, 2024(Online)
- 4th October, 2024 (Online)
- 16th October, 2024 (Online)
- 7th November, 2024 (Online)
- 24th December, 2024 (New Delhi)
- 23rd January, 2025 (Online)
- 12th February, 2025 (New Delhi)
- 26th March, 2025 (New Delhi)

Outcome of the Meetings: -

- Approval of 3907 Diploma and Degree institutions were extended u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 718 new Diploma and Degree institutions were granted approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 32 New Pharm.D institutions were granted approval for the conduct of course.
- 2 Pharm.D (Post Baccalaureate) institutions were granted approval/ extended approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.

3. Present status of Approved Pharmacy Institutions upto in the country: -

Courses	Approved institutions	Admission capacity
Diploma in Pharmacy	5669	340140
Degree in Pharmacy	2958	177480

4. Continuing Education Programmes

- Continuing Education Programmes (CEPs) play an important role in the growth of the knowledge bank of the pharmacists. The PCI from its own resources is giving financial assistance of Rs.25, 000/- per course subject to ceiling of 12 courses per annum to the State Pharmacy Councils for the conduct of CEPs for pharmacists from December, 2014. The PCI also gives grants to the pharmacy institutions for conducting CEPs for pharmacy teacher's upto Rs.3.00 lakhs per programme.

5. Pharmacists Day celebration

- The poster for Pharmacists Day 25 September, 2024, was posted on Council's website Further Poster for Pharmacists Day Celebration on 19.9.2024 was published in Times of India newspaper (in all editions).

6. Implementation of Right to Information Act, 2005

- The Council has implementing the above Act in letter and spirit. The information sought is promptly given within the stipulated time.

7. Revised Budget Estimates

- The Revised Budget Estimate of the Council for the year 2024-2025 is Rs. 36410.90/- lakhs.

8. PCI Website

- PCI website is updated on daily basis.

9. PCI's Executive committee and Central Council meetings.


- Various meetings of the PCI Executive Committee has been conducted online.

10. Automation of PCI.

- The PCI has taken the following initiatives -
 1. Online submission of application by pharmacy institutions to PCI for consideration of approval u/s 12 of the Pharmacy Act for the purpose of registration pharmacist.
 2. Online submission of affiliation fee and inspection fee.
 3. Inspections are arranged through software.
 4. Agenda for meetings is digitalized.
 5. The decisions to institutions are also conveyed online.
 6. Pharmacy faculty working in various pharmacy institutions is now registered on the PCI portal.
 7. PCI inspectors are required to register on PCI portal.
 8. The EC/CC meetings are now conducted online.
 9. Digitalization of old record is under process.

11. Approval Process

- Approval process under the Pharmacy Act is streamlined and transparent.
- Availability of faculty data with their qualification, experience, place of working etc. so as to restructure the Council's policy as per the need of the profession.


(Anil Mittal)

Registrar-cum-Secretary

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया

(2024-2025 के दौरान परिषद की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट)
(1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) फार्मेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित एक निकाय है। फार्मेसी के पेशे और अभ्यास को विनियमित करने के लिए 1948 में अधिनियम बनाया गया था। केंद्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, अर्थात्:-

- ए) छह सदस्य, जिनमें से प्रत्येक विषय, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्रांसी का कम से कम एक शिक्षक होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय के शिक्षण स्टाफ के व्यक्तियों में से चुना जाएगा, जो फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करता है;
- बी) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम चार ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा हो और वे उसमें प्रैक्टिस करते हों, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
- सी) भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित एक सदस्य;
- डी) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पदेन या यदि वह किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो उनके द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति;
- डीडी) औषधि नियंत्रक, भारत, पदेन या यदि वह किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति;
- इ) केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक, पदेन;
- एफ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि;

जी) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया एक सदस्य, जो पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;

ज) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, जो पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा:

परिषद के उद्देश्य

परिषद् निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है -

- ◆ फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;
- ◆ शैक्षिक मानकों का एकसमान कार्यान्वयन;
- ◆ फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी;
- ◆ अनुमोदन वापस लेना;
- ◆ भारत के बाहर प्रदान की गई योग्यताओं का अनुमोदन; और
- ◆ फार्मासिस्टों के केंद्रीय रजिस्टर का रखरखाव।

केंद्रीय परिषद एक कार्यकारी समिति का गठन करती है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्यों में से चुने गए पांच अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिषद में निम्नलिखित अन्य समितियाँ भी कार्य कर रही हैं: -

ए) पीसीआई - व्यवसाय सलाहकार समिति

बी) पीसीआई - औद्योगिक उपयोगिता समिति के लिए शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना

ग) पीसीआई - समन्वय समिति

ए) राज्य फार्मसी परिषदें

बी) राज्य सरकारें

डी) पीसीआई - सामान्य प्रशासन समिति (कार्मिक और प्रशिक्षण)

इ) पीसीआई - वित्त समिति

एफ) पीसीआई - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समिति

जी) पीसीआई - विधि समिति

एच) पीसीआई - राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समिति

मै) पीसीआई - व्यावसायिक फार्मसी और

जे) जनसंपर्क समिति (पीपी&पीआरसी)

क) महिला सशक्तिकरण समिति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद के पदाधिकारी और अधिकारी निम्नलिखित हैं:

1. एल. डॉ. मोंटूकुमार एम पटेल - अध्यक्ष
2. प्रो. (डॉ.) प्रमोद येओले- उपाध्यक्ष
3. श्री अनिल मित्तल- रजिस्ट्रार-सह-सचिव

2024-2025 के दौरान परिषद की गतिविधियाँ

1. निरीक्षण की व्यवस्था

परिषद ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डिप्लोमा, डिग्री, फार्म.डी., एम.फार्मा और बी.फार्मा (प्रैक्टिस) संस्थानों के 2788 निरीक्षण आयोजित किए।

2. परिषद की बैठकें:-

केन्द्रीय परिषद की बैठक आयोजित:-

28 फरवरी, 2025

कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की गईं:-

- 2 अप्रैल, 2024(ऑनलाइन)
- 24 अप्रैल, 2024 (नई दिल्ली)
- 6 जून, 2024 (नई दिल्ली)
- 3 जुलाई, 2024 (ऑनलाइन)
- 18 जुलाई, 2024 (हिमाचल प्रदेश)
- 10 अगस्त, 2024 (ऑनलाइन)
- 22 अगस्त, 2024 (ऑनलाइन)
- 4 सितंबर, 2024 (ऑनलाइन)
- 13 सितंबर, 2024 (ऑनलाइन)
- 20 & 21 सितंबर, 2024 (नई दिल्ली)
- 30 सितंबर, 2024(ऑनलाइन)
- 4 अक्टूबर, 2024 (ऑनलाइन)
- 16 अक्टूबर, 2024 (ऑनलाइन)
- 7 नवंबर, 2024 (ऑनलाइन)
- 24 दिसंबर, 2024 (नई दिल्ली)
- 23 जनवरी, 2025 (ऑनलाइन)
- 12 फरवरी, 2025 (नई दिल्ली)
- 26 मार्च, 2025 (नई दिल्ली)

बैठकों का परिणाम: -

- फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत 3907 डिप्लोमा और डिग्री संस्थानों को मंजूरी दी गई।
- फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत 718 नए डिप्लोमा और डिग्री संस्थानों को मंजूरी दी गई।
- 32 नए फार्म.डी. संस्थानों को पाठ्यक्रम संचालन के लिए मंजूरी दी गई।
- 2 फार्म.डी (पोस्ट बैचलर) संस्थानों को फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत अनुमोदन/विस्तारित अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. देश में अनुमोदित फार्मसी संस्थानों की वर्तमान स्थिति: -

पाठ्यक्रम	अनुमोदित संस्थान	प्रवेश क्षमता
फार्मसी में डिप्लोमा	5669	340140
डिग्री में फार्मसी	2958	177480

4. सतत शिक्षा कार्यक्रम

- सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) फार्मासिस्टों के ज्ञान भंडार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीसीआई अपने स्वयं के संसाधनों से दिसंबर, 2014 से फार्मासिस्टों के लिए सीईपी आयोजित करने के लिए राज्य फार्मसी परिषदों को प्रति वर्ष 12 पाठ्यक्रमों की अधिकतम सीमा के अधीन 25,000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम की वित्तीय सहायता दे रहा है। पीसीआई फार्मसी शिक्षकों के लिए सीईपी आयोजित करने के लिए फार्मसी संस्थानों को प्रति कार्यक्रम 3.00 लाख रुपये तक का अनुदान भी देता है।

5. फार्मासिस्ट दिवस समारोह

- फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर, 2024 का पोस्टर परिषद की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। इसके अलावा 19.9.2024 को फार्मासिस्ट दिवस समारोह का पोस्टर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था। इंडिया समाचार पत्र (सभी संस्करणों में)।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

- परिषद ने उपरोक्त अधिनियम का अक्षरशः क्रियान्वयन किया है। मांगी गई सूचना निर्धारित समय के भीतर तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है।

7. संशोधित बजट अनुमान

- वर्ष 2024-2025 के लिए परिषद का संशोधित बजट अनुमान 36410.90 लाख रुपये है।

8. पीसीआई वेबसाइट

- पीसीआई वेबसाइट दैनिक आधार पर अद्यतन की जाती है।

9. पीसीआई की कार्यकारी समिति और केंद्रीय परिषद की बैठकें


- पीसीआई कार्यकारी समिति की विभिन्न बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गई हैं।

10. पीसीआई का स्वचालन.

- पीसीआई ने निम्नलिखित पहल की हैं –
 1. फार्मसी संस्थानों द्वारा पीसीआई को विचारार्थ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना फार्मासिस्ट के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ फार्मसी अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता।
 2. संबद्धता शुल्क और निरीक्षण शुल्क ऑनलाइन जमा करना।
 3. निरीक्षण की व्यवस्था सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।
 4. बैठकों का एजेंडा डिजिटल कर दिया गया है।
 5. संस्थाओं को निर्णय भी ऑनलाइन ही सूचित किये जाते हैं।
 6. विभिन्न फार्मसी संस्थानों में कार्यरत फार्मसी संकाय अब पीसीआई पोर्टल पर पंजीकृत है।
 7. पीसीआई निरीक्षकों को पीसीआई पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
 8. ईसी/सीसी की बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं।
 9. पुराने रिकार्ड का डिजिटलीकरण प्रक्रियाधीन है।

11. अनुमोदन प्रक्रिया

- फार्मसी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी है।
- संकाय की योग्यता, अनुभव, कार्य स्थान आदि सहित डेटा की उपलब्धता, ताकि पेशे की आवश्यकता के अनुसार परिषद की नीति का पुनर्गठन किया जा सके।


(अनिल मिश्र)
रजिस्ट्रार-सह-सचिव